109/2021/1/99403/2021-71-2099/626/2021

प्रेषक,

अनिल कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 21 सितम्बर, 2021

विषयः-वित्तीय वर्ष 2021-22 में डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के नवीन परिसर, गोमतीनगर विस्तार योजना के अंतर्गत जी0एस0टी0 के मद में वास्तविक व्यय की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1871/डा0रा0म0लो0आ0सं0/सि0202/1 दिनांक 27 अगस्त, 2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के नवीन परिसर, गोमतीनगर विस्तार योजना के अंतर्गत स्वीकृत लागत रू0 2,04,50,17,357 के सापेक्ष जी0एस0टी0 के मद में जमा की गयी धनराशि रू0 176376280.28 अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के नवीन परिसर, गोमतीनगर विस्तार योजना के अंतर्गत वृहद निर्माण मद में प्राविधानित धनराशि अनुदान संख्या-31 चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) से रू0 139337261.4212 तथा अनुदान संख्या-83 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना) से रू0 37039018.8588 अर्थात कुल रू0 176376280.28 (रूपये सत्रह करोड तिरसठ लाख छिहत्तर हजार दौ सौ अस्सी रूपये अठाईस पैसे मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22 मार्च, 2021 का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. वित्त अधिकारी, संस्थान द्वारा जी0एस0टी0 के नियमों के अधीन जी0एस0टी0 की वास्तविक धनराशि का आंकलन से संतुष्ट होने के उपरान्त ही धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
3. निदेशक/वित्त अधिकारी, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ द्वारा जी0एस0टी0 के नियमों के अधीन धनराशि का आंकलन करते हुए यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जी0एस0टी0 मद में वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष कार्यदायी संस्था को कोई रिफण्ड प्राप्त नहीं हुआ है तथा प्रश्नगत प्रायोजना के अंतर्गत जी0एस0टी0 की धनराशि जमा/भुगतान करने के पश्चात प्रतिपूर्ति दावा प्रस्तुत किया गया है।
4. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि निर्माण कार्य के तहत कोई अन्य कर का भुगतान नहीं किया गया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- धनराशि को कोषागार से वित्त नियंत्रक, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के लेखाशीर्षक ''4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-04-डा0 राम मनोहर लोहिया इन्स्टीयूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, गोमतीनगर, लखनऊ-24-वृहत निर्माण कार्य'' से 139337261.4212 तथा अनुदान संख्या-83-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के लेखाशीर्षक ''4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-28- डा0 राम मनोहर लोहिया इन्स्टीयूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ-24-वृहत् निर्माण कार्य'' से रू0 37039018.8588 के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिहित किये गये अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक उपर्युक्तानुसार -:</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1) महालेखाकार (हकदारी एवं लेखा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3) मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
4) नोडल अधिकारी, बजट आवंटन चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
5) वित्त अधिकारी, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
6) वित्त ई-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
7) महाप्रबन्धक/प्रबन्ध निदेशक/परियोजना प्रबन्धक उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मुमताज अहमद सिददीकी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in